कार्यालय नगर निगम, बरेली ।

पत्रांक 421 / सम्पत्ति कर विभाग / 2023–24 दिनांक– 07/03/24

(नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित समस्त भवन स्वामियों / अध्यासियों के लिए सार्वजनिक सूचना ।)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम सीमान्तर्गत निर्मित समस्त भवनों की प्रस्तावित कर निर्धारण सूची उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 207 एवं उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्तिकर) नियमावली 2000 की धारा 5 के अन्तर्गत तैयार कर ली गयी है। उक्त सूची नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 209 एवं उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्तिकर) नियमावली 2000 की धारा 5क के अन्तर्गत समस्त जोन कार्यालयों में तत्काल प्रभाव से कार्यालय अवधि में एवं नगर निगम बरेली की बेबसाईट15.03.2024 से जन सामान्य के www.nagarnigambareilly.com पर दिनांक अवलोकनार्थ / निरीक्षण हेतु उपलब्ध है, यदि किसी भवन स्वामी / अध्यासी को प्रस्तावित कर निर्धारण सूची में उल्लिखित भवन के कारपेट एरिया, आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल की गणना या अन्य प्रविष्टियों आदि के सम्बन्ध में आपत्ति हो तो इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर बेबसाइट व माध्यम से ऑनलाइन एवं निर्धारित प्रारूप में लिखित रूप से जोन कार्यालयों में प्राप्त करा सकता है। प्रस्तावित कर निर्धारण सूची के सम्बन्ध में किसी जानकारी हेतु मो0नं0–9258753633 पर कार्यालय अवधि में सम्पर्क कर सकते है ।

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी,
नगर निगम बरेली ।

नगर आयुक्त,
नगर निगम बरेली ।